पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड

<u>(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Ltd.)</u>

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर

<u>प्रथम अपीलीय प्राधिकारी , पटना-800023</u>

<u>स्पीड-पोस्ट</u>

संदर्भ: RTI/FAA/Order/24 | 305 दिनांक: 24.06.2021

अपीलकर्ता: **श्री केशव कुमार,ग्राम+पोस्ट- रतनपुर ,जिला- दरभंगा -847307 (बिहार)**

प्रतिवादी:**<u>केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.),</u>पटना**

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**श्री ए.के.मैती,कार्यपालक निदेशक सह-प्रथम अपीलीय <u>प्राधिकारी,पावर ग्रिड पटना-800023.</u>**

**शिकायत /अपील से प्राप्त हुए तथ्य:**

1. प्रथम सूचना आवेदन की तिथि :**30.04.2021) – (अनुलग्नक)**
2. आवेदन का उत्तर :**26.05.2021- (अनुलग्नक)**
3. प्रथम अपील के आवेदन की तिथि : **04.06.2021- (अनुलग्नक)**
4. अपील की सुनवायी के लिए सूचना दिये जाने की तिथि: **10.06.2021. (अनुलग्नक)**
5. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय मे सुनवाई की तिथि :**24.06.2021, सुबह 11:00 बजे आनलाइन के माध्यम से ।**

## आदेश

**(24.06.2021)**

1. अपीलकर्ता द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन रजि.न.**PGCIL/R/E/21/00189 दिनांक-30.04.2021**कोदिया गया था। जिसका उत्तर मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड, पटना, के द्वारा **संदर्भ संख्या- PGCIL/PMTL/RTI/2020-21/22/167दिनांक-26.05.2021** को अग्रसारित किया जा चुका है। **दिनांक-26.05.2021 के उत्तर से संतुष्ट नही होने के कारण आवेदनकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन रजि.न. PGCIL/A/E/21/00020 दिनांक-04.06.2021 को** किया गया है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पावरग्रिड, पू.क्षे.1, पटना के समक्ष अपील की सुनवाई आनलाइन के माध्यम से किये जाने की सूचना अपीलकर्ता को पत्र संदर्भ संख्या-**FAA/Hearing/386** दिनांक**10.06.2021 को दिया गया । प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तिथि और समय दिनांक-24.06.2021, सुबह11:00 बजे निर्धारित किया गया।**
2. <u>अपीलकर्त्ता का पक्ष</u>:

    I. अपीलकर्त्ता ने अपना पक्ष रखा कि उन्होने अपने अपील में दर्शाये गये प्रशन (**क**) एवं (**ख**) में 400 के.वी. दरभंगा से सीतामढ़ी विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के दौरान रतनपुर ब्लॉक एवं दरभंगा जिले में काटे गये कुल वृक्षों एवं बासों (Bamboo) की संख्या एवं इस सम्बंध में भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी अलग–अलग

एकेमाइति

चाहिए । परन्तु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.) ने अलग जानकारी नहीं प्रदान की, उन्होंने केवल कुल वृक्षों एवं बासों (Bamboo) की संख्या एवं क्षतिपूर्ति की राशि एवं किसानो की संख्या अपने उत्तर पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया ।

II. अपीलकर्त्ता ने अपने अपील में दर्शाये गये प्रशन **(ग).** में यह भी कहना है कि चूंकि श्री जयचन्द्र ठाकुर उसके परिवार से संबंधित है अत: उसे जानने का अधिकार है कि श्री जयचन्द्र ठाकुर को कितनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया।

III. अपीलकर्त्ता ने कहा कि (घ) के लिए उन्होने दूसरा आर. टी. आई आवेदन दिया दिया है ।

3. **<u>केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.) का पक्ष:</u>**

I. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.) का पक्ष है कि अपीलकर्त्ता का सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन स्पष्ट नहीं है । अपीलकर्त्ता ने अपने आवेदन में दर्शये गये प्रशन **(क)** एवं ( **ख** ) मे सारे किसानों को दिये गये क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी माँगी है । अत: रतनपुर ब्लॉक, जिला दरभंगा में पारेषण लाईन के निर्माण के दौरान हटाये/काटे गये कुल वृक्षों एवं बासों (Bamboo) की संख्या व कुल क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी एवं किसानों की संख्या अपीलकर्त्ता को उपलब्ध करा दी गयी है। अपीलकर्त्ता ने अपने आवेदन में दर्शये गये **प्रशन (ग)**. में श्री जयचन्द्र ठाकुर की भुगतान की जानकारी सूचना के अधिकार का अधीनियम, 2005 की धारा (11) के तहत without consent नही दी जा सकती है ।

II. अपीलकर्त्ता के प्रथम आवेदन में प्रशन **(घ)** न रहने के कारण अपील मे इसका उत्तर नही दिया जा सकता ।

अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी दोनो पक्ष आनलाइन के माध्यम से प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष मौखिक व आनलाइन के माध्यम से रखा । दोनो पक्षो को सुनने एवं सम्बंधित दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है :-

## <u>निर्णय</u>

1. दोनो पक्षो को सुनने एवं सभी दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (पी.एम.टी.एल.)को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को 400 के. वी. दरभंगा से सीतामढ़ी विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के दौरान रतनपुर क्षेत्र एवं दरभंगा जिले में काटे गये वृक्षो एवं बांसो की संख्या व क्षतिपूर्ति राशि अलग-अलग 15 दिनो के अंदर उपलब्ध कराये तथा क्षतिपूर्ति दोनों जगहों की सरकारी दर की प्रतीलिप भी उपलब्ध कराये ।

2. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी(पी.एम.टी.एल.)के द्वारा श्री जयचंद्र ठाकुर एवं अन्य से सम्बंधित जानकारी अपीलकर्ता को नही दिये जाने का निर्णय उचित है, क्योंकी Third party के अनुमति के बिना जानकारी उपलब्ध नही कराया जा सकता ।

3. जहाँ तक वृक्षों के काटने की आदेश की जानकारी का सम्बंध है जो प्रथम आवेदन से संबन्धित नही है इस कारण इसे निरस्त किया जाता है ।

4. **उपरोक्त सभी साक्ष्यो के आलोक में अपील का निपटारा तदनुसार दिनांक- 24.06.2021 को किया गया।**

(ए.के.मैती) 24/6
कार्यपालक निदेशक
सह-प्रथम अपीलीयप्राधिकारी

वितरण:-

1. **श्री केशव कुमार,ग्राम+पोस्ट- रतनपुर ,जिला- दरभंगा -847307 (बिहार))**
2. **श्री एम.क्यु हुदा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पी.एम.टी.एल.) सह-केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड,पू.क्षे.1,पटना-800023.-** आदेश का अनुपालन एवं उचित कार्यवाही हेतु ।

(3/3)